भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 348

बुधवार, दिनांक 12 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

पीएम-एसजीएमबीवाई तथा पीएम-कुसुम के अंतर्गत प्रगति का आकलन

***348. श्री तारिक अनवर:**

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2023-24 से आज तक प्रधान मंत्री-सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना (पीएमएसजीएमबीवाई), प्रधान मंत्री-किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित अन्य प्रमुख कार्यक्रमों के अंतर्गत संस्थापित क्षमता, लाभार्थियों की संख्या, जारी की गई केन्द्रीय सहायता और हासिल हुई प्रगति का राज्य-वार आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सौर ऊर्जा के विकेन्द्रीकृत उपयोग, रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों के विस्तार और कृषि क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की समीक्षा की है और यदि हां, तो इसके प्रमुख परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार विशेषकर सीमांचल क्षेत्र में तथा बिहार सहित अपेक्षाकृत कम नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाले क्षेत्रों में सौर विद्युत परियोजनाओं, रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों और पीएम-कुसुम के लिए विशेष पहल करने या और अधिक केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा शिक्षा मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

<u>विवरण</u>

'पीएम-एसजीएमबीवाई तथा पीएम-कुसुम के अंतर्गत प्रगति का आकलन' के संबंध में पूछे गए दिनांक 12.08.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 348 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्षमता वृद्धि का नियमित आकलन करता है। वर्ष 2023-24 से दिनांक 31.07.2026 तक विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत क्षमता वृद्धि का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

MNRE द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PMSG: MBY) के अंतर्गत वर्ष 2023-24 से दिनांक 10.08.2026 तक तथा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) के अंतर्गत वर्ष 2023-24 से 31.07.2026 तक जारी केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

PMSG: MBY और PM KUSUM दोनों योजनाएं मांग-संचालित योजनाएं हैं, जिनमें PMSG: MBY के लाभार्थी मुख्य रूप से व्यक्तिगत घरेलू परिवार हैं और PM KUSUM के लाभार्थी मुख्य रूप से व्यक्तिगत किसान परिवार हैं। इन योजनाओं के शुभारंभ के बाद से, दिनांक 10.08.2026 की स्थिति के अनुसार PMSG: MBY के अंतर्गत 51,27,843 परिवार लाभान्वित हुए हैं और दिनांक 31.7.2026 की स्थिति के अनुसार PM KUSUM योजना के भाग-B और भाग-C के अंतर्गत 28,38,970 सिंचाई पंपों का सौरीकरण किया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

सौर ऊर्जा के विकेंद्रीकृत उपयोग के लिए PMSG: MBY, PM-KUSUM आदि जैसी योजनाओं की MNRE द्वारा राज्यों, DISCOMs, बैंकों, अन्य हितधारकों आदि के साथ विभिन्न स्तरों पर योजना की प्रगति की नियमित निगरानी सहित समीक्षा की जा रही है। विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक भी उपयुक्त उपाय करके कार्यान्वयन प्रक्रिया में सुधार के लिए लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, समय-समय पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

मंत्रालय, सौर ऊर्जा के विकेंद्रीकृत उपयोग के लिए योजना को बढ़ावा दे रहा है ताकि अपेक्षाकृत कम नवीकरणीय ऊर्जा संभाव्यता वाले क्षेत्रों, जिनमें बिहार और सीमांचल क्षेत्र भी शामिल हैं, को भी नवीकरणीय ऊर्जा का लाभ मिल सके। PMSG: MBY और PM KUSUM दोनों के अंतर्गत उत्तर-पूर्वी राज्यों, पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और द्वीपीय संघ राज्य क्षेत्रों, जिनमें अपेक्षाकृत कम नवीकरणीय ऊर्जा संभाव्यता है, के लिए अधिक CFA का प्रावधान किया गया है।

अनुलग्नक-I

'पीएम-एसजीएमबीवाई तथा पीएम-कुसुम के अंतर्गत प्रगति का आकलन' के संबंध में पूछे गए दिनांक 12.08.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 348 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत वर्ष 2023-24 से अब तक अर्थात दिनांक 31.07.2026 तक क्षमता वृद्धि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण (MW में)

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	सौर विद्युत				पवन विद्युत	जैव- विद्युत				छोटी जल-विद्युत परियोजना	कुल
		ग्राउंड माउंटेड सोलर	RTS (PM-सूर्य घर योजना सहित)	हाइब्रिड सोलर कंपोनेंट	ऑफ-ग्रिड सोलर/ कुसुम कंपोनेंट B		बायोमास पावर/बगास सह-उत्पादन	बायोमास को-जेनरेशन (गैर-बगास)	अपशिष्ट से ऊर्जा	अपशिष्ट से ऊर्जा (ऑफ-ग्रिड)		
1	आंध्र प्रदेश	2283.95	725.62	600.56	0.00	364.93	0.00	29.00	0.00	19.99	1.20	4025.25
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	2.34	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.51	11.59
3	असम	111.26	473.92	0.00	3.20	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	594.38
4	बिहार	82.24	218.25	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00	319.69
5	छत्तीसगढ	895.00	185.99	0.00	4.00	0.00	0.00	4.50	0.00	10.42	32.90	1132.81
6	गोवा	7.57	60.28	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	70.82
7	गुजरात	17934.24	5025.89	1403.04	146.23	6634.14	0.00	0.00	0.00	19.12	21.66	31184.32
8	हरियाणा	1.96	945.16	0.00	880.18	0.00	0.00	36.20	0.00	35.25	0.00	1898.75
9	हिमाचल प्रदेश	245.90	47.39	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.75	341.54

10	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	104.10	0.00	14.38	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	43.25	166.73
11	झारखंड	1.95	57.47	0.00	152.86	0.00	0.00	14.80	0.00	1.04	0.00	228.12
12	कर्नाटक	2511.79	338.50	359.25	184.58	3620.29	1.81	0.00	0.00	13.09	4.00	7033.31
13	केरल	42.42	1818.91	0.00	3.93	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1884.28
14	लद्दाख	0.00	9.60	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	15.75
15	मध्य प्रदेश	2848.04	801.58	0.00	92.34	842.16	0.00	4.00	0.00	20.52	0.00	4608.64
16	महाराष्ट्र	9162.16	4487.04	0.00	1975.56	1403.08	339.30	0.00	0.00	19.98	3.20	17390.32
17	मणिपुर	0.60	4.24	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28
18	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	22.63
19	मिजोरम	1.90	3.74	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.41
20	नगालैंड	0.00	0.10	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	3.04
21	ओडिशा	318.40	306.44	0.00	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	25.00	709.26
22	पंजाब	55.02	344.74	0.00	36.17	0.00	0.00	41.14	0.00	19.18	0.00	496.25
23	राजस्थान	24636.16	1428.60	704.30	310.57	347.82	14.90	0.00	74.50	7.94	0.00	27524.79
24	सिक्किम	0.52	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
25	तमिलनाडु	6124.14	1249.73	0.00	11.16	2282.32	0.00	8.50	0.00	2.92	0.00	9678.77
26	तेलंगाना	0.00	499.07	0.00	0.00	0.00	0.00	21.74	0.00	0.00	0.00	520.81
27	त्रिपुरा	2.75	8.72	0.00	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.44
28	उत्तर प्रदेश	1083.20	2221.00	0.00	205.01	0.00	28.00	24.00	0.00	61.16	1.50	3623.87
29	उत्तराखंड	242.65	56.20	0.00	17.49	0.00	0.00	14.42	0.00	7.63	15.00	353.39
30	पश्चिम बंगाल	167.43	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	0.00	3.86	0.00	192.28
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
32	चंडीगढ़	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.16

33	डीएनएच और डीडी	1.66	95.27	0.00	0.00	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	100.68
34	दिल्ली	0.88	242.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	0.00	244.21
35	लक्षद्वीप	1.70	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
36	पुदुचेरी	0.23	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.98
	कुल	**68765.72**	**21864.62**	**3067.15**	**4116.89**	**15503.76**	**387.76**	**233.40**	**76.10**	**248.27**	**238.67**	**114502.34**

अनुलग्नक-II

'पीएम-एसजीएमबीवाई तथा पीएम-कुसुम के अंतर्गत प्रगति का आकलन' के संबंध में पूछे गए दिनांक 12.08.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 348 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

क. 2023-24 से 10.08.2026 तक PMSG: MBY के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी की गई निधियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई निधि (करोड़ रुपये)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2.92
2	आंध्र प्रदेश	1614.51
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01
4	असम	1217.86
5	बिहार	171.75
6	चंडीगढ़	8.5
7	छत्तीसगढ	524.71
8	गोवा	23.26
9	गुजरात	5743.87
10	हरियाणा	780.5
11	हिमाचल प्रदेश	91.09
12	जम्मू और कश्मीर	307.63
13	झारखंड	22.44
14	कर्नाटक	169.39
15	केरल	2107.54
16	लद्दाख	15.92
17	लक्षद्वीप	9.94
18	मध्य प्रदेश	1140.19
19	महाराष्ट्र	5177.38
20	मणिपुर	12.05
21	मेघालय	0.33
22	मिजोरम	10.63
23	नगालैंड	3.23
24	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	74.33
25	ओडिशा	751.07
26	पुदुचेरी	33.18
27	पंजाब	113.62
28	राजस्थान	1917.65
29	सिक्किम	0.39
30	तमिलनाडु	592.38
31	तेलंगाना	338.2
32	डीएनएच और डीडी	5.59
33	त्रिपुरा	34.24
34	उत्तराखंड	779.59
35	उत्तर प्रदेश	4891.93
36	पश्चिम बंगाल	12.38
	कुल	**28700.2**

ख. PM-KUSUM योजना के तहत 2023-24 से 31.07.2026 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -वार जारी की गई निधियां

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**जारी की गई निधि (करोड़ रुपये)**
1.	अरुणाचल प्रदेश	5.16
2.	असम	10.67
3.	गोवा	0.43
4.	गुजरात	742.53
5.	हरियाणा	1090.67
6.	हिमाचल प्रदेश	7.43
7.	जम्मू एवं कश्मीर	22.33
8.	झारखंड	208.79
9.	कर्नाटक	248.27
10.	केरल	35.1
11.	लद्दाख	2.34
12.	मध्य प्रदेश	239.08
13.	महाराष्ट्र	5925.19
14.	मणिपुर	1.12
15.	मेघालय	0.31
16.	मिजोरम	2.57
17.	नगालैंड	1.86
18.	ओडिशा	38.46
19.	पंजाब	55.99
20.	राजस्थान	1641.35
21.	तमिलनाडु	21.63
22.	त्रिपुरा	34.6
23.	उत्तर प्रदेश	469.39
24.	उत्तराखंड	45.53
	कुल	**10850.8**

अनुलग्नक-III

'पीएम-एसजीएमबीवाई तथा पीएम-कुसुम के अंतर्गत प्रगति का आकलन' के संबंध में पूछे गए दिनांक 12.08.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 348 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-III

क. देशभर में PMSG: MBY के तहत लाभान्वित परिवारों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार विवरण (दिनांक 10.08.2026 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य	शामिल किए गए परिवार (संख्या)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	441
2	आंध्र प्रदेश	298758
3	अरुणाचल प्रदेश	1
4	असम	169078
5	बिहार	26394
6	चंडीगढ़	1398
7	छत्तीसगढ	91910
8	गोवा	4684
9	गुजरात	1138524
10	हरियाणा	131860
11	हिमाचल प्रदेश	12364
12	जम्मू एवं कश्मीर	40620
13	झारखंड	3670
14	कर्नाटक	36353
15	केरल	326337
16	लद्दाख	2104
17	लक्षद्वीप	1213
18	मध्य प्रदेश	168796
19	महाराष्ट्र	1116445
20	मणिपुर	1631
21	मेघालय	9307
22	मिजोरम	1398
23	नगालैंड	464
24	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	16178
25	ओडिशा	167931
26	पुदुचेरी	5124
27	पंजाब	18330
28	राजस्थान	297592
29	सिक्किम	63
30	तमिलनाडु	105629
31	तेलंगाना	73387
32	डीएनएच एवं डीडी	1247
33	त्रिपुरा	4689
34	उत्तराखंड	99821
35	उत्तर प्रदेश	749457
36	पश्चिम बंगाल	4645
	कुल	**51,27,843**

ख. PM KUSUM योजना के तहत भाग-वार हुई प्रगति का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र -वार विवरण (दिनांक 31.07.2026 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भाग-B स्थापित (संख्या)	भाग-C स्थापित (संख्या)	कुल
1.	अरुणाचल प्रदेश	699	0	699
2.	असम	1695	0	1695
3.	छत्तीसगढ	0	622	622
4.	बिहार	0	6070	6070
5.	गुजरात	22792	304948	327740
6.	गोवा	200	700	900
7.	हरियाणा	195521	0	195521
8.	हिमाचल प्रदेश	1103	0	1103
9.	जम्मू एवं कश्मीर	4873	0	4873
10.	झारखंड	74201	0	74201
11.	कर्नाटक	29513	150490	180003
12.	केरल	8	15872	15880
13.	लद्दाख	315	0	315
14.	मध्य प्रदेश	26478	71934	98412
15.	महाराष्ट्र	559409	875000	1434409
16.	मणिपुर	160	0	160
17.	मेघालय	98	0	98
18.	मिजोरम	613	0	613
19.	नगालैंड	265	0	265
20.	ओडिशा	16052	0	16052
21.	पंजाब	17928	25	17953
22.	राजस्थान	127639	232132	359771
23.	तमिलनाडु	5186	0	5186
24.	त्रिपुरा	9401	1375	10776
25.	उत्तर प्रदेश	71538	11131	82669
26.	उत्तराखंड	2980	0	2980
27.	पश्चिम बंगाल	0	4	4
	कुल	**1168667**	**1670303**	**2838970**
